झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अधिसूचना

संख्या–04/आ0–02–1018/2019...4764..../राँची, दिनांक–25/11/22 पयेजल एवं स्वच्छता अंचल, पलामू अंतर्गत क्रियान्वित फ्लोराईड रिमुभल ट्रीटमेंट प्लांट के मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप का स्वतः संज्ञान माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा लिया गया। ममाले के जाँचोंपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री नवीन भगत, तत्कालीन सहायक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा फ्लोराईड रिमुभल ट्रीटमेंट प्लांट के मरम्मति एवं सम्पोषण की आवश्यकता नहीं रहने के बावजूद भी उक्त संयंत्र के मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु अनुपयुक्त प्राक्कलन गठित कर संवेदक को 6,42,529/– रूपये की राशि का गबन एवं अपव्यय करने में सहभागिता बरतने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये । सभी पक्षों की सुनवाई के उपरान्त माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–19.08.2019 को पारित आदेश में श्री भगत सहित अन्य दोषी विभागीय अभियंताओं के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा विभाग से की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री भगत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–3748 दिनांक–18.10.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। तत्पश्चात् श्री भगत से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी एवं सम्पूर्ण मामले के समीक्षोरान्त उक्त स्पष्टीकरण को अस्वीकारयोग्य पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–828 दिनांक–20.03.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–17 के तहत् श्री भगत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. उपरोक्त मामले के जाँचोपरान्त जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–323 दिनांक–06.11.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया । जाँच पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन पूर्णतः विरोधाभाषी होने के कारण विभागीय पत्रांक–3015 दिनांक–29.12.2020 द्वारा जाँच संचालन पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। तत्पश्चात् जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–189 दिनांक–27.07.2022 द्वारा श्री भगत के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–01, 02 एवं 03 को क्रमशः आंशिक प्रमाणित होता है, प्रमाणित नहीं होता है एवं आंशिक प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. तदोपरान्त उपरोक्त आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–3546 दिनांक–12.08.2022 द्वारा श्री भगत से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया । उक्त के अनुपालन में श्री भगत के पत्रांक–1094 दिनांक–29.08.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं यह पाया गया कि श्री भगत द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

5. इस प्रकार जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री भगत के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में वर्णित बिन्दुओं के सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँच संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री भगत के विरूद्ध आंशिक प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–14 के तहत

दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री नवीन भगत, तत्कालीन सहायक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर सम्प्रति–प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मधुपुर के विरूद्ध **"दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

25/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचि

ज्ञापांक– 04/आ0–02–1018/2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रोषित।

25/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/आ0–02–1018/2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 04/आ0–02–1018/2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता /सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक सहित)/ उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–01 एवं 10)/सभी कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक सहित)/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04/आ0–02–1018/2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः– उप सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–5185, दिनांक–28.08.2019 तथा अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–660 दिनांक–22.04.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\SEC 4\Desktop\Rishav 2019\RASHMI\Adhisuchna\4 aa 02 1018 2019.docx

25.11.22

ज्ञापांक–04 / आ0–02–1018 / 2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः– श्री नवीन भगत, तत्कालीन सहायक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर सम्प्रति–प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पयेजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–04 / आ0–वि0–01–1001 / 2019 4765 राँची, दिनांक– 25/11/22

प्रतिलिपिः–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

24.11.22

E:\SEC 4\Desktop\Rishav 2019\RASHMI\Adhisuchna\4 aa 02 1018 2019.docx